**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3263**

**08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एएएम**

**3263. श्री दिलीप शइकीयाः**
**श्रीमती हिमाद्री सिंहः**
**डॉ. हेमंत विष्णु सवराः**
**श्री काली चरण सिंहः**
**श्री लुम्बाराम चौधरीः**
**श्री बसवराज बोम्मईः**
**श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः**
**श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः**
**डॉ. राजेश मिश्राः**
**श्री रमेश अवस्थीः**
**श्री विजय बघेलः**
**श्री नव चरण माझीः**
**श्रीमती स्मिता उदय वाघः**
**श्रीमती कमलेश जांगड़ेः**
**श्री मनोज तिवारीः**
**श्री योगेन्द्र चांदोलियाः**
**श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः**
**श्री जनार्दन मिश्राः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों तथा मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा क्षेत्र सहित देश में स्थापित और क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की कुल संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) उक्त स्थानों सहित देश भर में 1.75 लाख से अधिक एएएम के संचालन का प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच, समानता और स्वास्थ्य परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इन एएएम ने देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन में योगदान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शहरी, ग्रामीण और जनजातीय बहुल तथा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो कर्नाटक,

छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान के सिरोही जिले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ङ) इसमें टेली-परामर्श और योग सत्रों को शामिल करने से एएएम के सेवादाय में किस प्रकार वृद्धि हुई है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में एएएम के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (च): आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में दिनांक 15.07.2025 तक संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार संख्या, झारखंड के चतरा में 119, लातेहार जिले में 113 और मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 567 हैं, जो अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

भारत में झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों और मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा क्षेत्र सहित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सुधारों के अधिनियमन से वित्तीय वर्ष 2019-20 में वार्षिक फुटफॉल 13.49 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 128.08 करोड़ हो गया है। एनपी-एनसीडी (गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) पोर्टल के अनुसार, एएएम सहित उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) (ग्रामीण और शहरी) में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच और प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है , जिसमें उच्च रक्तचाप के लिए 33.53 करोड़ से अधिक , मधुमेह के लिए 32.18 करोड़, मुख कैंसर के लिए 30.04 करोड़, स्तन कैंसर के लिए 14.08 करोड़ और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए 7.53 करोड़ से अधिक लोगों की गैर-संचारी रोगों के लिए जांच/गहन जांच की गई है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत शहरी, ग्रामीण और आदिवासी बहुल तथा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12 पैकेज प्रदान किए जाते हैं, जिनमें प्रजनन और बाल देखभाल सेवाएँ, संक्रामक रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) , उपशामक देखभाल और वृद्धों की देखभाल, सामान्य मानसिक विकारों की देखभाल, तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ (मिर्गी, मनोभ्रंश) और मादक द्रव्य सेवन विकार प्रबंधन (तंबाकू, शराब, ड्रग्स), मुख संबंधी स्वास्थ्य, ईएनटी देखभाल और बुनियादी आपातकालीन देखभाल शामिल हैं। विस्तारित सेवाओं के पूरक के रूप में, अनिवार्य औषधि और नैदानिकी की सूची का विस्तार किया गया है ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी-एएएम) में 172 औषधि और 63 नैदानिकी और उप-स्वास्थ्य केंद्रों-आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 106 औषधि और 14 नैदानिकी उपलब्ध हों।

शहरी, ग्रामीण और आदिवासी बहुल तथा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना, आद्योपांत समग्र देखभाल की निरंतरता को मज़बूत करने और माध्यमिक एवं विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाकेंद्रों के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। यह सामुदायिक

सहभागिता को बढ़ावा देने में भी सहायक है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य  की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो सके और समुदाय के नजदीक के पॉलीक्लिनिकों के माध्यम से समुदायों तक  विशेषज्ञ सेवाएं पहुंच सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में संचालित सभी एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएँ लोगों को उनके घरों के पास ही विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे व्यक्तिगत पहुँच, सेवा प्रदाताओं की कमी जैसी चिंताओं का समाधान होता है और परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित होती है। दिनांक15.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एएएम में कुल 38.13 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

बीमारियों के इलाज के अतिरिक्त प्रोत्साहक और निवारक स्वास्थ्य, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का एक अभिन्न अंग है। एएएम में योग, साइकिलिंग और ध्यान जैसी आरोग्य संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। दिनांक 15.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एएएम में कुल 5.79 करोड़ आरोग्य सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन के तहत एएएम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना(एसपीआईपी) के अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

**अनुलग्नक- I**

**दिनांक 15.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 129 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 11862 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 491 |
| 4 | असम | 4961 |
| 5 | बिहार | 10335 |
| 6 | चंडीगढ़ | 60 |
| 7 | छत्तीसगढ | 5887 |
| 8 | दिल्ली | 63 |
| 9 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 95 |
| 10 | गोवा | 302 |
| 11 | गुजरात | 10657 |
| 12 | हरियाणा | 3263 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2651 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 3142 |
| 15 | झारखंड | 4122 |
| 16 | कर्नाटक | 10116 |
| 17 | केरल | 7105 |
| 18 | लद्दाख | 321 |
| 19 | लक्षद्वीप | 13 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 12346 |
| 21 | महाराष्ट्र | 12546 |
| 22 | मणिपुर | 420 |
| 23 | मेघालय | 617 |
| 24 | मिजोरम | 412 |
| 25 | नगालैंड | 470 |
| 26 | ओडिशा | 7360 |
| 27 | पुदुचेरी | 127 |
| 28 | पंजाब | 3128 |
| 29 | राजस्थान | 11539 |
| 30 | सिक्किम | 184 |
| 31 | तमिलनाडु | 8454 |
| 32 | तेलंगाना | 5052 |
| 33 | त्रिपुरा | 1134 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 22999 |
| 35 | उत्तराखंड | 2358 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 13433 |
| **कुल** | | **1,78,154** |

**अनुलग्नक- II**

**वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन**

**(लाख रुपये में)**

| क्रम सं. | राज्य | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 15.00 | 10.50 | 59.13 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4,089.10 | 3,745.65 | 7,912.25 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,119.21 | 883.71 | 5,641.73 |
| 4 | असम | 23,445.27 | 18,267.63 | 7,807.13 |
| 5 | बिहार | 52,749.20 | 4,026.16 | 6,588.81 |
| 6 | चंडीगढ़ | 124.82 | 124.82 | 177.82 |
| 7 | छत्तीसगढ | 16,633.63 | 8,478.83 | 7,296.47 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 8.59 | 8.59 | 27.44 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 512.89 | 53.09 | 353.11 |
| 11 | गुजरात | 13,178.54 | 8,252.56 | 20,988.58 |
| 12 | हरियाणा | 11,399.68 | 5,971.04 | 10,529.50 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 928.75 | 226.99 | 3,934.48 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 3,657.24 | 3,070.74 | 3,218.48 |
| 15 | झारखंड | 25,173.69 | 11,763.54 | 10,572.72 |
| 16 | कर्नाटक | 42,721.29 | 13,716.82 | 2,970.04 |
| 17 | केरल | 18,111.82 | 26,520.10 | 3,756.14 |
| 18 | लक्षद्वीप | 3.55 | 1.99 | 14.00 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 19,073.02 | 31,381.22 | 27,564.85 |
| 20 | महाराष्ट्र | 36,566.83 | 13,564.63 | 21,122.26 |
| 21 | मणिपुर | 1,114.70 | 1,100.70 | 1,796.43 |
| 22 | मेघालय | 2,741.67 | 717.12 | 1,586.66 |
| 23 | मिजोरम | 755.57 | 671.08 | 574.09 |
| 24 | नगालैंड | 660.61 | 785.47 | 1,053.65 |
| 25 | ओडिशा | 15,286.40 | 13,418.93 | 15,178.49 |
| 26 | पुद्दुचेरी | 269.75 | 258.95 | 242.48 |
| 27 | पंजाब | 4,613.92 | 1,772.53 | 3,207.89 |
| 28 | राजस्थान | 17,212.36 | 17,212.36 | 7,498.70 |
| 29 | सिक्किम | 110.21 | 98.65 | 38.69 |
| 30 | तमिलनाडु | 8,096.81 | 4,339.34 | 163.70 |
| 31 | तेलंगाना | 5,202.87 | 5,853.78 | 3,454.81 |
| 32 | त्रिपुरा | 4,421.36 | 671.46 | 639.65 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 74,968.69 | 1,78,616.62 | 1,07,535.86 |
| 34 | उत्तराखंड | 7,214.59 | 2,143.06 | 4,523.07 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 20,608.22 | 12,605.01 | 16,173.90 |
| 36 | लद्दाख | 1,870.85 | 633.80 | 912.02 |

टिप्पणी:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं, जो अनंतिम हैं।

******